उत्तराखण्ड सरकार
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008
दूरभाष : 0135–2669415, फैक्स न0 : 2669382 e-mail boardofrevenue-uk@gov.in

संख्याः–2548/4–सर्वे/रा0प0/2025–26 दिनांकःदेहरादून अगस्त, 27 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ तहसील पिथौरागढ़ अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवीग्राम किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के अधिसूचना पत्र संख्या 637(1)/XVIII(1)/2025-E-77744 दिनांक 18.08.2025 जो परिषद के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ में अवस्थित ग्राम "खूनी" का नाम परिवर्तित कर "देवीग्राम" को उ0प्र0 साधाराण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियय संख्या–1, वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से अवस्थित ग्राम **"खूनी"** का नाम परिवर्तित कर **"देवीग्राम"** की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी के न्यायालय के नोटिस बोर्ड, तहसील भवन पर तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जाये और सम्बंधित अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

अतः अधिसूचना संख्या 637(1)/XVIII(1)/2025-E-77744 दिनांक 18.08.2025 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए इस सम्बंध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि शासन अपेक्षानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,
27/8/25
(मीनाक्षी पटवाल)
उप राजस्व आयुक्त

प्रतिलिपि– 1–आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन राजस्व विभाग, देहरादून को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–स्टाफ ऑफिर, राजस्व परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

उप राजस्व आयुक्त

DRC/
SAO (...)/ ...

क्रमांक 16 द 20/08/25

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- /XVIII(1)/2025-E-77744
देहरादूनः दिनांकः 19 अगस्त, 2025

अधिसूचना

21/08/25

चूंकि, जनभावनाओं के दृष्टिगत् जिला पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ में अवस्थित ग्राम **"खूनी"** का नाम परिवर्तित कर **"देवीग्राम"** किया जाना आवश्यक है;

और चूंकि, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53 पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 में ग्रामों एवं तहसील के नाम परिवर्तन के पूर्व प्रस्ताव पर भारत सरकार से पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित है;

और चूंकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11/25/2025-M&G दिनांक 03.06.2025 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-SM/28/25/2025, दिनांक 05.06.2025 में ग्राम **"खूनी"** का नाम परिवर्तन कर **"देवीग्राम"** किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी जा चुकी है;

अतएव अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1,वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से जिला पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ में अवस्थित ग्राम **"खूनी"** का नाम नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

DRC (...)

अनुसूची

क्र0सं0	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1.	खूनी	देवीग्राम

21/08/25

2- राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नही पड़ेगा।

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या- (1)/XVIII(1)/2025-E-77744, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अनु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 03.06.2025/अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 05.06.2025 के अनुक्रम में।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6. आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड 98 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अधिसूचना का सरकारी गजट में आगामी अंक में प्रकाशित कराने एवं मुद्रित अधिसूचना की 25–25 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी के न्यायालय के नोटिस बोर्ड, तहसील भवन पर तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जाय और सम्बन्धित अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
10. सर्वेयर जनरल, सर्वे ऑफ इण्डिया, पो0 बाक्स नं0–37, हाथी बड़कला इस्टेट, देहरादून 248001, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिओ स्पेटियल डाटा केन्द्र, 17, ई0सी रोड़, पो0 बाक्स नं0 122, देहरादून 248001, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, नॉर्दन प्रिटिंग ग्रुप सर्वे ऑफ इण्डिया, पो0बा0नं0 28, हाथी बड़कला इस्टेट, देहरादून, 248001, उत्तराखण्ड।
13. डिपार्टमेन्ट ऑफ पोस्ट (प्लानिंग डिवीजन), मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन एण्ड आई0टी0, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
14. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेस (रेलवे बोर्ड) टी0सी0 IV सैक्सन, रेल भवन, नई दिल्ली–110001
15. निदेशक, (सी0एस0–II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन0डी0सी0सी0–II भवन, पंचम तल, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली–110001
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव